यह निरीक्षण प्रतिवेदन **वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल** के माह 04/2014 से माह 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा देवेद्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दया शंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.10.2016 से 10.11.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नवीन शंखधर एवं श्री उदयवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.12.2014 से 31.12.2014 तक श्री डी.एन. मिश्रा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2009 से माह 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा माह 04/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गई।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(अ) वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल का मुख्य कार्यकलाप बजट निर्माण, शासकीय प्राप्ति एवं व्यय संबंधी क्रियाकलाप किए जाते है।

(ब) वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, प्रशासकीय भवन एवं डी.एस.बी. परिसर नैनीताल में स्थित है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	356.04	555.75	4648.49	4691.22	1760.30	2164.65		464.71
2015-16	313.31	151.40	5057.50	5027.16	1446.47	1582.15		359.37
2016-17 (Up to 09/2016)	343.65	15.72	3334.05	2575.93	612.56	627.35		1102.20

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
2014-15	UGC, CSIR, DST, ICHR, DBT, U.A.SCT, I.C.S.S.R, G.B. Pant & other	268.47	787.64	747.32	308.79
2015-16	UGC, CSIR, DST, ICHR, DBT, U.A.SCT, I.C.S.S.R, G.B. Pant & other	308.79	833.65	819.64	324.81

2016-17 (Up to 2016)	UGC, CSIR, DST, ICHR, DBT, U.A.SCT, I.C.S.S.R, G.B. Pant & other	324.81	522.27	464.50	382.58

(III) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत राज्य सरकार से प्राप्त होते है।

विभाग के संगठनात्मक ढांचे की स्थिति सलंग्न है।

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **कुमाऊँ विश्व विद्यालय, नैनीताल** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **वित्त अधिकारी कुमाऊँ विश्व विद्यालय, नैनीताल** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 05/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। (प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि) के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

(इस भाग में नियमितता से संबंधित मामले/विशिष्ट विषयों के मामलें एवं औचित्य से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किये जांय)

----------शून्य----------

भाग-दो(ब)

(इस भाग में नियमितता तथा औचित्य दोनों से संबंधित प्रासंगिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होगें। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा विशिष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय)

1- ` 50.92 लाख की धनराशि अवरूद्ध रहने से अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त रहना।
2- विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में ` 1.71 करोड़ के अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।
3- विश्व विद्यालय द्वारा नियमों के विरूद्ध ` 2.86 करोड़ के आधिक्य व्यय।
4- विभाग की उदासीनता के परिणामस्वरूप धनराशि ` 1.18 करोड़ के ऋण की वापसी प्राप्त न किया जाना।
5- ` 181.64 लाख काशनमनी की धनराशि और ` 110.87 लाख की छात्र निधि की धनराशि अवरूद्ध रखा जाना।
6- ` 31.74 लाख की पुस्तकीय मूल्य की सामग्री का नीलाम न किया जाना।

भाग-III

(इस भाग के विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या	पूरक
142/2014-15	1,2	1,2,3,4	1,2

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय।)

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
142/2014-15	**भाग-दो(अ)-1,2 भाग दो(ब) 1 से 4 तथा पूरक 1,2**	**उच्च अधिकारी की संस्तुति के अभाव यथावत**	**यथावत**	**----------**

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाय)

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- विश्वविद्यालय द्वारा नियमों के विरूद्ध ` 2.86 करोड़ के आधिक्य व्यय।

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(2) के अनुसार कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियों एवं निधियों का विनियमन एवं वित्तीय वर्ष में के जाने वाले सभी प्रकार के व्यय वित्त समिति की लाह पर करेगी तथा समिति द्वारा निर्धारित व्यय की सीमा कार्यकारी परिषद हेतु बाध्यकारी परिषद हेतु बाध्यकारी होगी। अधिनियम की धारा 55(8) के अनुसार बजट में स्वीकृत प्रावधानों के अतिरिक्त व्यय करना उप कुलपति तथा कार्यकारी परिषद के लिए नियम विरूद्ध होगा।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के समय यह पाया गया कि वर्ष 2014-15 में विभिन्न मदों के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा वित्तत समितित द्वारा स्वीकृत बजट के विरूद्ध कुल धनराशि ` 2,85,59,389/- का अधिक व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	मद का नाम	वित्त समिति द्वारा वर्ष के लिए स्वीकृत पारित बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय
1.	समूह (क) वेतन- वे.ग्रे./वि.वे.	18000000	18713320	713320
2.	मकान किराया	1680000	2014740	334740
3.	द्वियभाषीय भत्ता	33000	38650	5650
4.	समूह (ख) वाहन क्रय	0	935672	935672
5.	वाहनों पर व्यय	650000	1041280	391280
6.	समूह (ग) परीक्षा संचालन पर व्यय	36000000	48663049	12663049
7.	मुद्रण एवं प्रकाशन	16000000	19798394	3798394
8.	समूह (घ) उपकरण	2500000	2933245	433245
9.	कम्प्यूटर	500000	500739	739
10.	समूह (ड)	725000	1225234	500234

	क्रीड़ा खेलकूद पर व्यय			
11.	समूह (च) विविध आकस्मिक व्यय	1800000	2920601	1120601
12.	बीमा प्रीमियम	100000	747756	647756
13.	समूह (ज) वार्षिक अनुरक्षण	4800000	4820951	20951
14.	उपकरण मरम्मत	300000	332655	32655
15	सुरक्षा/संविदा के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	1600000	8561103	6961103
कुल योग		**84688000**	**113247389**	**28559389**

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विश्व विद्यालय ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि बजट से अधिक व्यय अपनी आय के सापेक्ष किया गया है। जिन मदों में अधिक व्यय हुआ उनको वित्त समिति से स्वीकृत कराया जाता है।

विश्व विद्यालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्त समिति की स्वीकृति के बिना व्यय किया जाना विश्व विद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(2) एवं 55 (8) के विरूद्ध था, तथा विश्वविद्यालय ने न तो वर्ष 2014-15 के लिए पारित बजट के पुनर्विनियोजन का प्रावधान किया और न ही पुनरीक्षित बजट वित्त समिति के द्वारा अनुमोदन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः विश्व विद्यालय द्वारा नियमों के विरूद्ध 2.68 करोड़ के आधिक्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में ` 1.71 करोड़ के अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका में निहित प्रावधानों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में निर्गत अग्रिम की राशि कार्य पूर्ण होने पर या कार्यों के लिये निर्गत अग्रिम माह के अंत तक अधिकतम वित्तीय वर्ष की समाप्ती तक अवश्य समायोजित कर दिया जाना चाहिए।

कुमाऊँ विश्व विद्यालय नैनीताल के लेखा अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 का लेखा तैयार नहीं किया गया था और न ही विगत 06 वर्षों से तुलन पत्र बनाया गया था। कुमाऊँ विश्व विद्यालय नैनीताल को शासन से प्राप्त अनावर्तक अनुदान से संबंधित वार्षिक लेखा वर्ष 2014-15 के नमूना जांच में पाया गया कि ` 94,51,220/- की धनराशि वर्ष 2014-15 तक में अग्रिम के रूप में निर्गत की गयी थी, जिसका समायोजन सम्प्रेक्षा तिथि तक नहीं किया गया था। उक्त राशि का न तो समायोजन सुनिश्चित किया गया और न ही समयोजन का प्रयास किया गया था।

विश्व विद्यालय द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में दिये गए अग्रिम व असमायोजित अग्रिम का विवरण निम्नवत है।

परिसर का नाम	पूर्व के वर्षों में दिये गये अग्रिम के सापेक्ष असमोयजित राशि	वर्ष 2014-15 मे दिया गया अग्रिम	वर्ष 2014-15 में समायोजित राशि	समायोजन के पश्चात शेष राशि	वर्ष 2015-16 में निर्गत राशि	वर्ष 2015-16 में समायोजित राशि	समायोजन के पश्चात शेष राशि (असमायोजित राशि की अद्यतन राशि)
कु.वि.वि.नैनीताल	19040569.00	20041980.00	10709233.00	9332747.00	24633148.00	7760368.00	16872780.00
डी.एस.बी.नैनीताल	883536.00	509473.00	391000.00	118473.00	479701.00	262401.00	217300.00
योग	**19924105.00**	**20551453.00**	**11100233.00**	**9451220.00**	**25112849.00**	**8022769.00**	**17090080.00**

जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि उक्त राशि के समायोजन हेतु विभाग द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया था, इसके अतिरिक्त पूर्व के वर्षों में निर्गत राशि भी असमायोजित थी तथा वर्ष 2015-16 का वार्षिक खाता नहीं बनाए जाने के कारण उक्त वर्ष के असमायोजीय अग्रिम का आंकलन नहीं किया जा सका।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 का वार्षिक लेखा बनाने की कार्यवाही की जा रही है वार्षिक लेखा तैयार हो जाने के उपरान्त सूची प्रस्तुत कर दी जायेगी। उक्त धनराशि के समायोजन की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है।

विश्व विद्यालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय के द्वारा उक्त अग्रिमों का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन दो वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी धनराशि ` 1.71 करोड़ के अग्रिमों का समायोजन न किया जाना विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव का परिचायक था।

अतः उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में ` 1.71 करोड़ के अग्रिमों का समायोजन न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- ` 48.23 लाख की धनराशि अवरूद्ध रहना।

कुमाऊँ विश्व विद्यालय नैनीताल के लेखा अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 का लेखा तैयार नहीं किया गया था और न ही विगत 06 वर्षों से तुलन पत्र बनाया गया था। कुमाऊँ विश्व विद्यालय नैनीताल को शासन से प्राप्त अनावर्तक अनुदान से संबंधित वार्षिक लेखा वर्ष 2014-15 के नमूना जांच में पाया गया कि ` 48.23 लाख की धनराशि विगत कई वर्षों से अनुपयोगी/अवरूद्ध पड़ी हुई थी, उक्त राशि का न तो उपयोग सुनिश्चित किया गया और न ही समायोजन किया गया था। विवरण निम्नवत हैः-

(01)	(02)	(03)
शासनादेश संख्या व तिथि	**प्रयोजन**	**31.03.2015 को शेष**
123/XXIV(6)2006 दिनांक 16/03/2006	रोजगारपरक अध्ययन केन्द्र के अंतर्गत विकसोमुक्त अध्ययन केन्द्र के उच्च अध्ययन हेतु	1,92,971.00
96/उ. शि./2004-03(22)2003 दिनांक 17.02.2004	वि.वि. हेतु पुस्तक क्रय के लिए	6,60,334.00
सचिव उ.शि. सिंचाई एवं ऊर्जा के पत्रांक	डेवलपमेंट मार्डनशिप पर सेमिनार हेतु	35,157.00

872/सिंचाई ऊर्जा दिनांक 10.10.2005		
837/XXIV(6) 2005 दिनांक 29.12.2005	प्रयोगशाला हेतु उपकरण क्रय	2,88,700.00
108/XXIV(6)2005 दिनांक 13.02.2006	विश्व विद्यालय के विस्तार के लिए भूमि क्रय हेतु	15,49,978.50
666/XXIV(6)2006 दिनांक 14.09.2006	कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना	1,20,770.00
916/XXIV(6)2006 दिनांक 02.11.2006	वि.वि. के लिए पुस्तक, उपकरण एवं फर्नीचर क्रय हेतु	8,99,219.00
617/XXIV(6)2008 दिनांक 31.12.2007	वि.वि. के लिए पुस्तक, उपकरण एवं फर्नीचर क्रय हेतु	5,45,702.00
62/XXIV(6)2008 दिनांक 17.01.2008	वि.वि. के भूगोल विभाग में भौगोलिक सूचना तंत्र प्रयोगशाला की स्थापना	1,70,228.00
86/XXIV(6)2010 दिनांक 22.02.2010	प्रशासनिक भवन में हुई तोडफोड फरवरी 2010 की छतिपूर्ति हेतु	2,43,490.00
202/XXIV(6)2010 दिनांक 07.12.2010	कु.वि.वि. में एस.सी.एस.पी. योजना के अंतर्गत छात्रों को निशुल्क प्रशिक्षण हेतु	1,16,054.00
		48,22,603.5

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विश्व विद्यालय प्रशासन कि उदासीनता के कारण पाठ्य-पुस्तक क्रय, प्रयोगशाला निर्माण, उपकरण एवं संयंत्र क्रय जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की राशि विगत कई वर्षों से अनावश्यक रूप से अवरूद्ध/अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि अंकित शासनादेशों की छायाप्रतियां प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है, प्राप्त होने पर सम्प्रेक्षा को उपलब्ध करा दी जायेगी। शासन से अनुदान की मांग करते समय वर्तमान दर से की जाती है, किन्तु अनुदान प्राप्त होने तक दर में वृद्धि हो जाने से शासन से अनुदान की मांग एवं वास्तविक व्यय में अन्तर के कारण मांग के सापेक्ष धनराशि अवशेष रह जाती है। जिससे उक्त धनराशि 03/2015 को अवशेष थी वही धनराशि 30.09.2016 तक यथा स्थिति में उक्त धनराशि के अवरूद्ध/अनुपयोगी रहने का कारण है। उक्त धनराशि को वापस किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त की जा रही है, अनुमति प्राप्त हो जाने के पश्चात वापस कर दी जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग के द्वारा मांग के सापेक्ष अधिक धनराशि की मांग की गयी व्यय कम किया गया जिस कारण उक्त धनराशि अवशेष रह गयी और वर्ष 03/2015 से विभाग के पास विश्व विद्यालय प्रशासन की उदासीनता के कारण पाठ्य-पुस्तक क्रय, प्रयोगशाला निर्माण, उपकरण एवं संयंत्र क्रय जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की राशि विगत कई वर्षों से अनावश्यक रूप से धनराशि ` 48.23 लाख अवरूद्ध/अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

अतः धनराशि ` 48.23 लाख की धनराशि अवरूद्ध रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- विभाग की उदासीनता के परिणामस्वरूप धनराशि ` 1.18 करोड़ के अग्रिम की वापसी प्राप्त न किया जाना।

यूजीसी के पत्र क्रमांक F.No. 23-1/2014(ASC) दिनांक 25 अप्रैल 2014 के अनुसार एचआरडीसी के विभिन्न कार्यक्रमों को सूचारू रूप से चलाये जाने हेतु उनकी आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालय उनकों अग्रिम उपलब्ध करायेगा तथा यूजीसी से ग्रान्ट प्राप्त होने के पश्चात लिए गए ऋण की धनराशि को वापस करेगा।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग के द्वारा सम्प्रेक्षा अवधि तक एचआरडीसी को कुल धनराशि ` 14559000/- का ऋण दिया गया जिसके सापेक्ष कुल धनराशि ` 2751471/- एचआरडीसी के द्वारा अग्रिम का भुगतान किया गया तथा धनराशि ` 11798529/- के ऋण (10/2016 तक) का भुगतान किया जाना अभी शेष है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	माह	एचआरडीसी को दिये गए ऋण की राशि	एचआरडीसी द्वारा ऋण वापसी की राशि	अवशेष धनराशि
1.	30.10.13	1500000.00	0	1500000.00
2.	26.12.13	500000.00	0	500000.00
3.	29.03.14	0	2000000.00	(-)2000000.00
4.	13.04.15	3000000.00	0	3000000.00
5.	16.05.15	3000000.00	0	3000000.00
6.	10.07.15	2500000.00	0	2500000.00
7.	07.10.15	750000.00	0	7500000.00
8.	04.03.16	1550000.00	0	1550000.00
9.	14.06.16	500000.00	0	500000.00
10.	10.10.16	0	751471.00	(-) 751471.00
11.	15.10.16	1250000.00	0	1250000.00
योग		**1,45,50,000.00**	**27,51,471.00**	**1,17,98,529.00**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा एचआरडीसी लगातार ऋण दिया जा रहा है, लेकिन उसकी वसूली किए जाने में उदासीनता बरती जा रही है जिससे विभाग के द्वारा दिये गये ऋण की धनराशि बढ़ती जा रही है जिससे विश्वविद्यालय के क्रियाकलाप में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विश्व विद्यालय ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि एच.आर.डी.सी., यू.जी.सी. द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है जिस हेतु यू.जी.सी. से अनुदान प्राप्त होता है। एच.आर.डी.सी. के कार्यक्रमों में रूकावटों हेतु समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है एवं यू.जी.सी. से अनुदान प्राप्ति के उपरान्त एच.आर.डी.सी. के द्वारा अग्रिम की वापसी की जाती है।

विश्वविद्यालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा एचआरडीसी को लगातार ऋण दिया जा रहा था, लेकिन उसकी वसूली किए जाने पर उदासीनता बरती जा रही थी जिससे विभाग के द्वारा दिये गए ऋण की धनराशि बढ़ती जा रही थी। अतः विभाग की उदासीनता के परिणामस्वरूप धनराशि ` 1.18 करोड़ के अग्रिम की वापसी प्राप्त न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-5- ` 181.64 लाख काशन मनी की धनराशि और ` 110.87 लाख की छात्र निधि की धनराशि अवरूद्ध रखा जाना।

यदि कोई छात्र महाविद्यालय छोड़ने के पाँच वर्ष तक अपनी काशनमनी वापस लेने के लिए आवेदन नहीं करता है तो यह राशि व्यपगत कर दी जाती है तथा किन्ही कारणों से किसी चात्र कोष में बचत हो जाती है और यह बजत तीन वर्ष तक बनी रहती है तो उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय करनी चाहिए, व्यय करने के लिए समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति के अनुमोदनोंपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है, सामान्य रूप से बचत कोष व्यय विश्वविद्यालय के खेल के मैदान हेतु भूमि क्रय, व्यायामशाला का निर्माण, शौचालय निर्माण सुधार, सड़कों की मरम्मत, पानी की व्यवस्था अथवा अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आने वाले सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा और डी.एस.बी. परिसर नैनीताल के छात्र निधियों के आय व्यय के विवरण की जांच में पाया गया कि काशन मनी की कुल धनराशि 2,21,16,547.00 है जिसमें से ` 1,81,63,872.00 की धनराशि विगत वर्षों से अवरूद्ध पड़ी हुई है (सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में काशन मनी के रूप में 2015-16 तक ` 1,03,09,622.00 रखे हुये थे जिसमें से ` 90,06,464.00 की राशि फिक्स डिपोजिट के रूप में है तथा ` 1,16,408.00 की राशि बचत खाते में है। डी.एस.बी. परिसर नैनीताल में 2015-16 तक काशन मनी ` 1,18,06,925.00 है जिसमें से ` 90,41,000.00 सावधि जमा हैं)

आगे छात्र निधि के आय व्यय के विवरण की जांच में पाया गया कि ` 1,10,86,564.00 की धनराशि (डी.बी. परिसर नैनीताल में ` 3,67,670.00 छात्र निधि में, ` 21,12,454.00 बुक बैंक निधि में, ` 29,41,780.00 वाचनालय निधि, ` 67944.00 अनटाइड फंड में, ` 15,73,643.00 मैगजीन खाता सं. 1152 में, ` 4,00,816.00 परिचय पत्र खाता से 10068.00 में तथा सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में ` 6,80,061.00 छात्र सहायता कोश में, ` 17,92,192.00 मैगजीन एवं आई कार्ड में, ` 10,75,044.00 वाचनालय निधि में, ` 74,960.00 बुक बैंक खाता में) अवरूद्ध पड़ी हुई है।

` 181.64 लाख काशन मनी की धनराशि और ` 110.87 की छात्र निधि की धनराशि अवरूद्ध होने से छात्रों के कल्याणकारी कार्यों पर व्यय नहीं की जा सकी। छात्रनिधि का उपयोग चात्रों के सर्वागीण हेतु जिस छात्र से शुल्क लिया गया था उस पर नहीं हो सका और वह उसके लाभ से वंचित रहा।

विभाग ने अपने उत्तर में आंकणों की पुष्टि की और बताया कि काशनमनी को वापस करने हेतु प्रत्येक वर्ष नोटिस जारी किया जाता है उक्त नोटिस के क्रम में छात्रों द्वारा अपने आवेदन पत्रों के माध्यम से वापस की जाती है और आगे कहा कि काशनमनी की व्यपगत राशि को समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर ही उच्च अधिकारियों की सहमति से व्यय की जाती है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि परीक्षा समाप्ति के उपरांत मार्कशीट, डिग्री को लेते समय काशनमनी वापस की जा सकती थी तथा छात्रनिधि का उपयोग छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु जिस छात्र से शुल्क लिया गया था उस पर नहीं हो सका।

अतः ` 181.64 लाख काशन मनी की धनराशि और ` 110.87 लाख की छात्र निधि की धनराशि अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-6- ` 31.74 लाख की पुस्तकीय मूल्य की सामग्री का नीलाम न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI प्रस्तर 189 एवं 190 के अनुसार जैसे ही यह तथ्य सामने आए कि स्टोर की की सामग्री निष्प्रयोज्य हो गयी है तो तत्काल फार्म 18 के प्रारूप में एक रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को दी जायेगी। इसके पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक नीलामी द्वारा बिक्री कर सामग्री का समायोजन किया जाएगा।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल के डी.एस.बी. परिसर नैनीताल और सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय में ` 14,65,933.00 की पुस्तकीय मूल्य की सामग्री (सूची संलग्न), डी.एस.बी. परिसर में ` 15,68,952.00 पुस्तकीय मूल्य की सामग्री (सूची संलग्न), और सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में ` 1,38,755 पुस्तकीय मूल्य की सामग्री (सूची संलग्न), एक से दो वर्षों से निष्प्रयोज्य अवस्था में पड़ी हुई है।

उक्त सामग्री कुल धनराशि ` 31,73,640 विश्वविद्यालय और उनके परिसरों के स्टोर में रखी हुई है जिसको शीघ्र नीलामी किया जाना था लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराया गया। उक्त सामग्रियों को नीलाम करके समायोजन किया जाना चाहिए, उक्त सामग्री प्रति वर्ष क्षति हो रही है और उस सामग्री के मूल्य में कमी आ रही है।

विभाग का उत्तर नहीं है क्योंकि ` 31.71 लाख की सामग्री विगत एक से दो वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ी हुई हैं. जिससे इसके मूल्य में उतरोत्तर कमी होना निश्चित है।

इस प्रकार ` 31.74 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्री को नीलाम न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1.	डी.एस. बोनाल	वित्त अधिकारी	01.04.2014 से 18.07.2016
2.	श्रीमति रेखा आर्य	वित्त अधिकारी	19.07.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)